

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वी-02/2017/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 384 दिनांक 21.04.2015 (क्रम संख्या 10 पर अंकित) द्वारा श्रीमती विमला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिपराली (सीकर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 16.02.2017 से दिनांक 11.11.2017 तक 269 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वी-02/2017/ 1092

दिनांक:- 24/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिपराली (सीकर)।
3. प्रधानाचार्य, राजस्थान नर्सिंग इंस्टीट्यूट, सीकर।
- ✓ 4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर